5112/2020

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

VERIFIED
LOCKED

Certificate No.	:	IN-UK93767285461473S
Certificate Issued Date	:	22-Oct-2020 04:19 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1204304/ HARIDWAR/ UK-HD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK120430490714117414015S
Purchased by	:	NARESH CHAWLA AND OTHER
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	VILLAGE BHAGTANPUR ABIDPUR URF IKKAD HARIDWAR
Consideration Price (Rs.)	:	4,31,000 (Four Lakh Thirty One Thousand only)
First Party	:	SUKHVEER SINGH
Second Party	:	NARESH CHAWLA AND OTHER
Stamp Duty Paid By	:	NARESH CHAWLA AND OTHER
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	21,600 (Twenty One Thousand Six Hundred only)

Please write or type below this line

सुखवीरसिंह

SR 0010643634

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it Invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the ...

Scanned with CamScanner

ADHAR NO- 3247 4339 7644 ADHAR NO- 2760 4805 1613 ADHAR NO- 5814 9278 2187

विकय पत्र ग्रामीण क्षेत्र

विकय पत्र–	4,31,000/–
स्टाम्प शुल्क हेतु मालियंत –	4,31,000/–
स्टाम्प शुल्क–	21,600/–
विकीत भूमि का क्षेत्रफल–	0.1025 हैक्टेयर।
सर्किल दर–	40,00,000/– रूपये प्रति हैक्टेयर परन्तु भूमि 5 मीटर से अधिक व 12 मीटर से कम चौडी रोड पर होने के कारण भूमिदर में 5 प्रतिशत की वृद्वि करके भूमिदर 42,00,000/– रूपये प्रति हैक्टेयर
सर्किल रेट लिस्ट–	पृ0 14 कमांक 29 पर अंकित है।
भूमि स्थित–	ग्राम भगतनपुर आबिदपुर उर्फ ईक्कड परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार है।
विकेता जाति–	अनु0 जाति से नही है।
प्रमुख मार्ग से दूरी–	हरिद्वार लक्सर रोड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है।
केता का 2003 से पूर्व साक्ष्य–	केतागण के पिताजी के नाम दिनांक 12–09–2003 से पूर्व उत्तराखण्ड में अचल सम्पत्ति है।

विकेता–	**सुखवीर सिंह** पुत्र श्री इलम सिंह निवासी ग्राम अम्बूवाला परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार
केता–	श्री **नरेश चावला** पुत्र श्री योगेन्द्र मोहन चावला निवासी 95 नया हरिद्वार कालौनी हरिद्वार व श्री **नितिन जैन** पुत्र स्व0 श्री पवन कुमार जैन निवासी एच–9, फेस–1 शिवलोक कालौनी रानीपुर मोड हरिद्वार तहसील व जिला हरिद्वार ।
स्टाम्प की पृ0 संख्या–	01

सुखवीर सिंह

Scanned with CamScanner

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 5112 वर्ष 2020

Sale (Immovable)

Sale(Agriculture)

प्रतिफल रु0 : 431000.00

मालियत रु0 : 431000.00

रजिस्ट्रेशन शुल्क	प्रतिलिपि शुल्क	इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क	कुल योग	शब्द लगभग
रु0 8620.00	रु0 100.00	रु0 300.00	रु0 9020.00	2000

श्री नरेश चावला पुत्र श्री योगेन्द्र मोहन चावला निवासी 95 नया हरिद्वार कॉलोनी हरिद्वार तहसील व जिला हरिद्वार ने आज दिनांक 22 Oct 2020 समय मध्य 5PM व 6PM को कार्यालय उपनिबन्धक हरिद्वार,द्वितीय मे प्रस्तुत किया ।

नरेश चावला

उपनिबन्धक
हरिद्वार,द्वितीय
22-Oct-2020

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री सुखवीर सिंह पुत्र श्री इलम सिंह निवासी ग्राम अम्बूवाला परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार \ ने विक्रय धन मुबलिग रु0 431000.00 प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया । इस लेखपत्र का निष्पादन क्रेता श्री नरेश चावला पुत्र श्री योगेन्द्र मोहन चावला निवासी 95 नया हरिद्वार कॉलोनी हरिद्वार तहसील व जिला हरिद्वार \ श्री नितिन जैन पुत्र श्री स्व0 पवन कुमार जैन निवासी एच-9 फेस-1 शिवलोक कॉलोनी रानीपुर मोड हरिद्वार तहसील व जिला हरिद्वार \ ने भी स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री राजू पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा निवासी निकट पथरी रेलवे स्टेशन पथरी हरिद्वार जिला हरिद्वार तथा श्री इंद्रपाल पुत्र श्री सतपाल सिंह निवासी निकट पथरी रेलवे स्टेशन पथरी हरिद्वार जिला हरिद्वार ने की।

उपनिबन्धक
हरिद्वार,द्वितीय
22-Oct-2020

सत्यमेव जयते
उत्तराखण्ड

Scanned with CamScanner

भूमि राष्ट्रीय मार्ग जनपदीय मार्ग व प्रान्तीय मार्ग के सहारे नहीं है।
विक्रीत सम्पत्ति शत्रु सम्पत्ति घोषित नहीं है
विक्रीत सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र या नोटिफाइड एरिया में नहीं है।
विक्रीत सम्पत्ति सिचाई विभाग की नही है। निम्नवर्णित भूमि की बाबत कोई वाद–विवाद नहीं है।
निम्नवर्णित भूमि चर्च–कब्रिस्तान,ट्रस्ट या किसी धार्मिक संस्था की नहीं है। केता एवम विकेता विदेशी नागरिक नहीं है। भारतीय मूल के विदेशी नागरिक नहीं है। पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल,भूटान में से किसी देश के नागरिक नहीं है। विक्रीत भूमि काश्त की है और काश्त हेतु ही क्रय की गयी है।
निम्नवर्णित भूमि का दाखिल खारिज कराने में विक्रेता केतागण का पूरा–पूरा सहयोग करेगा।
भू0 अधिनियम सं0 29/2003 प्रभावी नहीं है।
रेरा अधिनियम 2016 की किसी धारा का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।
विक्रीत सम्पत्ति ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, मिक्सड डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट इण्डस्ट्रीयल प्रोजेक्ट एवं कर्मर्शियल प्रोजेक्ट, प्लाटेड डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट में सम्मिलित नही है।

विदित हो कि निम्नलिखित भूमि जिसका विवरण नीचे दिया गया है,और जो आज दिनांक तक प्रत्येक प्रकार के कर्ज,भार रहन आदि से शुद्ध व मुक्त है और न ही कहीं पर बन्धक करके कोई ऋण आदि किसी महकमें बैंक,सोसायटी या संस्था आदि से लिया हुआ है। और जिसको विक्रय करने के पूर्ण अधिकार विक्रेता को प्राप्त हैं अब विक्रेता ने अपनी मन बुद्धि एवं इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में अपनी स्वेच्छा व प्रसन्नता से अधिकारों सहित निम्नवर्णित आराजी भूमि को मुब0 **4,31,000/– चार लाख इकत्तीस हजार** रूपये के बदले में उपरोक्त केता श्री **नरेश चावला** पुत्र श्री योगेन्द्र मोहन चावला निवासी 95 नया हरिद्वार कालौनी हरिद्वार व श्री **नितिन जैन** पुत्र स्व0 श्री पवन कुमार जैन निवासी एच–9, फेस–1 शिवलोक कालौनी रानीपुर मोड हरिद्वार तहसील व जिला हरिद्वार को विक्रय व हस्तान्तरीत कर दी हैं और कुल मूल्यराशि निम्न विवरण अनुसार प्राप्त कर ली है। कब्जा मौके पर निम्नवर्णित विक्रीत भूमि पर केता का करा दिया है और अपना कब्जा हर प्रकार से हटा लिया है अब विक्रेता व उसके वारसान का निम्नवर्णित विक्रीत आराजी भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध या वास्ता नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा। यदि भविष्य में विक्रेता की किसी कानूनी त्रुटि के कारण या किसी के वाद–विवाद के कारण निम्नवर्णित भूमि कुल या उसका कोई अन्श कब्जा व दखल केता के अधिकार से निकल जावे या उसे कोई भार आदि चुकता करना पडे तो केता को अधिकार होगा कि वह अपनी कुल मूल्यराशि मय समस्त हर्जे व खर्चे के विक्रेता की हर प्रकार की चल व अंचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे द्वारा न्यायालय वसूल कर लेवें। जिसमें विक्रेता को किसी प्रकार का कोई उजर व ऐतराज नहीं होगा। नीज प्रतिज्ञ विक्रेता उन प्रत्येक कानूनी जिम्मेदारियों का जिम्मेदार है जो कानूनन एक विक्रेता पर आयद होती है।

धर्मवीर सिंह

Scanned with CamScanner

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 5112 वर्ष 2020

सुखवीर सिंह

नरेश चावला

नितिन जैन

राजू

इंद्रपाल

प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, हरिद्वार,द्वितीय
22 Oct 2020

Scanned with CamScanner

विवरण सम्पत्तिः– जो कि भूमि चक संख्या 143 का प्रथम चक जिसका खसरा संख्या 1152 रकबई 0–3–19 पुख्ता भूमि व 1151 रकबई 0–2–16 पुख्ता भूमि व 1151 रकबई 1–19–19 पुख्ता भूमि व 1149/2 रकबई 0–1–0 पुख्ता भूमि व 1150 रकबई 1–8–1 पुख्ता भूमि कुल 4 किता कुल रकबई 3–15–15 पुख्ता भूमि के अपने भाग में से 0.1025 हैक्टेयर भूमि विक्रय की है जो स्थित ग्राम भगतनपुर आबिदपुर उर्फ ईक्कड परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार है। उक्त भूमि के बजानिब पूरब भूमि विक्रेता, पश्चिम में रास्ता 30 फुट चौडा,उत्तर भूमि जगपाल सिंह आदि,दक्षिण भूमि जगदीश सिंह चौहान आदि की है। उक्त भूमि का फ्रन्ट, पश्चिम की तरफ 7.1 गटठे चौडा है। उक्त भूमि विक्रेता की स्वंय की है जिसके राजस्व अभिलेखों में विक्रेता का नाम दर्ज चला आता है।

विवरण प्राप्ति मूल्यराशिः– कुल मूल्यराशि मुब0 4,31,000/– चार लाख इकत्तीस हजार रूपये में से मुब0 1,00,000/– रूपये द्वारा चैक संख्या 266872 दिनांकित 25–08–2020 आई.डी.बाई.आई. बैंक शाखा न्यू हरिद्वार कालौनी रानीपुर मोड हरिद्वार से व मुब0 1,00,000/– रूपये द्वारा चैक संख्या 053239 दिनांकित 25–08–2020 बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रोशनाबाद हरिद्वार जिला हरिद्वार से व मुब0 1,15,500/–रूपये द्वारा चैक संख्या 015474 दिनांकित 22–10–2020 बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रोशनाबाद हरिद्वार जिला हरिद्वार से व मुब0 1,15,500/– रूपये द्वारा चैक संख्या 000028 दिनांकित 22–10–2020 एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा हरिद्वार से विक्रेता ने क्रेतागण से प्राप्त कर ली है पश्चात् रजिस्टरी कुछ शेष नहीं रहेगा।

इन्दातीरानी सिंह

Neha I

Scanned with CamScanner

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32 ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंटस विक्रेता के बांये हाथ की अंगुलियों के निशान अंगुष्ठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठका

विक्रेता के दांये हाथ की अंगुलियों के निशान

अंगुष्ठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठका

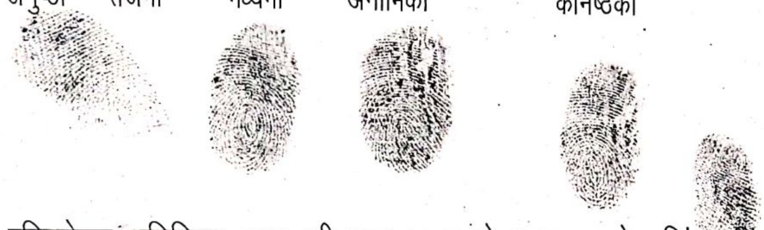

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32 ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंटस केता के बांये हाथ की अंगुलियों के निशान अंगुष्ठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठका

केता के दांये हाथ की अंगुलियों के निशान

अंगुष्ठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठका

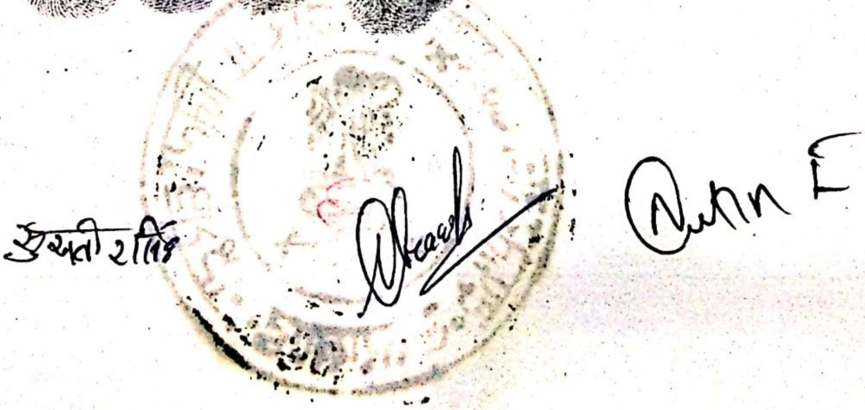

Scanned with CamScanner

Online Public Data Entry Summary

DISTRICT NAME :हरिद्वार SRO :हरिद्वार

UKPDE2020075112801 22-Oct-2020 5:02:19PM

Appointment Date: **Appointment Time:** **Appointment TokenNo:**

Mutation Office तहसील हरिद्वार

Deed/Article Type :Sale (Immovable)

Sub-Deed/Sub-Article :Sale(Agriculture)

Village/Location For Index :भगतनपुर आबिदपुर उर्फ ईक्कड़

Village/Location/Road Selected for Circle RateList :भगतनपुर आबिदपुर उर्फ ईक्कड़

Khewat : Khatoni :143

Khasra :

House/Flat No:

Area. :0.10 हैक्टेयर

Latitude 29.8566610000 Longitude 78.0792920000

Land Value :431,000.00 Construction Value :0.00

Transaction Value :431,000.00 **Market Value :431,000.00**

Advance :0.00 Lease Period :0.00 Avg. Rent :0.00

Stamp Duty :21,600.00 **Regn Fees :8,620.00**

Pasting Fees :100 Page :30

व्यवसायिक निर्माण का विवरण

क्र.सं	निर्माण का प्रकार	रक्बा

आवासीय निर्माण का विवरण

क्र. सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तल	ह्रास वर्ष	रक्बा

निबंधक शुल्क का विवरण

क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक
1	Cash	8,620.00	-

स्टाम्प शुल्क का विवरण

क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक	स्टांप विक्रेता आईडी
1	e-Stamp	21,600.00	-	22-Oct-2020	-

सुरक्षीसिंह

Scanned with CamScanner

tment Date: **Appointment Time:** **Appointment TokenNo:**

utation Office तहसील हरिद्वार

पक्षकारों का विवरण

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री सुखबीर सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह निवासी ग्राम अम्बूवाला परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार		OTHERS			ADHAAR : 324743397644
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्री नरेश चावला पुत्र श्री योगेन्द्र मोहन चावला निवासी 95 नया हरिद्वार कॉलोनी हरिद्वार तहसील व जिला हरिद्वार		OTHERS			ADHAAR : 276048051613
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्री नितिन जैन पुत्र श्री स्व0 पवन कुमार जैन निवासी एच-9 फेस-1 शिवलोक कॉलोनी रानीपुर मोड हरिद्वार तहसील व जिला हरिद्वार		OTHERS			ADHAAR : 581492782187
गवाह	श्री राजू पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा निवासी निकट पथरी रेलवे स्टेशन पथरी हरिद्वार जिला हरिद्वार		OTHERS			ADHAAR : 337912600921
गवाह	श्री इंद्रपाल पुत्र श्री सतना सिंह निवासी निकट पथरी रेलवे स्टेशन पथरी हरिद्वार जिला हरिद्वार		OTHERS			ADHAAR : 807393168187

Deed Writer /Advocate Name :M-L-SHARMA D-W

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

भारत सरकार

Government of India

सुखवीर सिंह

Sukhveer Singh

पिता : इलम सिंह

Father : Ilam Singh

जन्म तिथि / DOB : 01/01/1970

पुरुष / Male

3247 4339 7644

आधार - आम आदमी का अधिकार

Scanned with CamScanner

[redacted] भारत सरकार

[redacted]

नितिन जैन

NITIN JAIN

जन्म तिथि/ DOB: 03/04/1977

पुरुष / MALE

5814 9278 2187

मेरा आधार, मेरी पहचान

आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

[redacted] OF INDIA

पता:

एच 9 फेस 1, शिवलोक कॉलोनी, सेक्टर 1, हरिद्वार, हरिद्वार, उत्तराखण्ड - 249403

Address:

H 9 phase 1, SHIVLOK COLONY, BHEL SEC.1, Hardwar, Haridwar, Uttarakhand - 249403

1947
1800 300 1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in | P.O. Box No. 1947, Bengaluru-560 001

Nitin J

Scanned with CamScanner

भारत सरकार
Government of India

राजू
Raju
पिता : अशोक कुमार शर्मा
Father : Ashok Kumar Sharma
जन्म तिथि / DOB : 01/01/1983
पुरुष / Male

3379 1260 0921

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India
आधार

पता: 76, पथरी रेलवे स्टेशन, पथरी फोरेस्ट रेंज, हरिद्वार, अम्बुवाला, उत्तराखंड, 249404

Address: 76, Pathari Railway Station, Pathari Forest Range, Haridwar, Ambuwala, Uttarakhand, 249404

3379 1260 0921

1947
1800 300 1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

राजू

Scanned with CamScanner

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32 ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंटस केता के बांये हाथ की अंगुलियों के निशान अंगुष्ठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठका

केता के दांये हाथ की अंगुलियों के निशान

अंगुष्ठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठका

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

तहरीर ता0– 22–10–2020 ई0–

ह0विक्रेता सुखबीर सिंह

ह0केता........

ह0केता........

ह0 सा0–

ह0 सा0–

राजू
पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा
निवासी निकट पथरी रेलवे
स्टेशन पथरी हरिद्वार।

इन्द्रपाल
पुत्र श्री सतना सिंह
निवासी निकट पथरी रेलवे
स्टेशन पथरी हरिद्वार।

ADHAR NO- 3379 1260 0921

ADHAR NO- 8073 9316 8187

टाईपकर्ता........

रचियता........ मोहन लाल शर्मा नीतिपत्र लेखक ला0नं0 H/26 तहसील हरिद्वार 22/10/20

Scanned with CamScanner

बही संख्या 1 जिल्द 4855 के पृष्ठ 365 से 394 पर क्रमाक 5112

पर आज दिनांक 22 Oct 2020 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक,हरिद्वार,द्वितीय
22 Oct 2020

वाद सं0 266 धारा 12 आदेश ति॰ 30-1-2021
असल बैनामा वापस किया।

पेशकार
सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र

न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहा0कले0प्रथम श्रेणी,हरिद्वार।

वाद संख्या 135 /2020—21

धारा 143 ज0वि0अधिनियम
मौजा भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इक्कड
परगना ज्वालापुर
तहसील व जिला हरिद्वार।

नरेश चावला आदि बनाम सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद, वादीगण श्री नरेश चावला पुत्र श्री योगेन्द्र मोहन चावला निवासी 95 नया हरिद्वार एवं श्री नितिन जैन पुत्र स्व0 श्री पवन कुमार जैन निवासी एच—9 फेस—1 शिवलोक कालोनी परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार में ऑन लाईन प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत कर मौजा भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इक्कड परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार में स्थित गाटा संख्या 1149/2 से क्षेत्रफल 0.0100है0 व गाटा संख्या 1150 से क्षेत्रफल 0.2880है0 व गाटा संख्या 1151 से क्षेत्रफल 0.0280है0 व गाटा संख्या 1151 से क्षेत्रफल 0.4090है0 व गाटा संख्या 1152 से क्षेत्रफल 0.0410है0 कुल रकबई 0.7760है0 में से 0.1025है0 अपने हक एवं कब्जे की भूमि को निजी अद्यौगिक/व्यवसायिक प्रयोजन हेतु अकृषिक किये जाने का अनुरोध किया गया है।

वादीगण श्री नरेश चावला पुत्र श्री योगेन्द्र मोहन चावला निवासी 95 नया हरिद्वार एवं श्री नितिन जैन पुत्र स्व0 श्री पवन कुमार जैन निवासी एच—9 फेस—1 शिवलोक कालोनी परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 07.04.2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि भूमि गाटा संख्या 1149/2 से क्षेत्रफल 0.0100है0 व गाटा संख्या 1150 से क्षेत्रफल 0.2880है0 व गाटा संख्या 1151 से क्षेत्रफल 0.0280है0 व गाटा संख्या 1151 से क्षेत्रफल 0.4090है0 व गाटा संख्या 1152 से क्षेत्रफल 0.0410है0 कुल रकबई 0.7760है0 में से 0.1025है0 स्थित भूमि स्थित मौजा भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इक्कड परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार जिस पर मौके पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागबानी, पशुपालन आदि शामिल है का कार्य नही किया जा रहा है अपने हक एवं कब्जे की भूमि को अपने निजी अद्यौगिक/व्यवसायिक प्रयोजन हेतु ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गई।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व निरीक्षक ज्वालापुर एवं तहसीलदार हरिद्वार का अवलोकन किया तहसीलदार हरिद्वार की जांच आख्या के आधार पर भूमि गाटा संख्या 1149/2 से क्षेत्रफल 0.0100है0 व गाटा संख्या 1150 से क्षेत्रफल 0.2880है0 व गाटा संख्या 1151 से क्षेत्रफल 0.0280है0 व गाटा संख्या 1151 से क्षेत्रफल 0.4090है0 व गाटा संख्या 1152 से क्षेत्रफल 0.0410है0 कुल रकबई 0.7760है0 में से 0.1025है0 भूमि स्थित मौजा भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इक्कड परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार जिस पर मौके पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागबानी, पशुपालन आदि शामिल है का कार्य नही किया जा रहा है अपने हक एवं कब्जे की भूमि को अपने निजी व्यवसायिक प्रयोजन हेतु ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है

.........पेज 02 पर......

Scanned with CamScanner

(02)

आदेश।

अतः तहसीलदार हरिद्वार की आख्या दिनांक 07.04.2021 एवं राजस्व निरीक्षक की स्थलीय जांच आख्या के आधार पर भूमि गाटा संख्या 1149/2 से क्षेत्रफल 0.0100है0 व गाटा संख्या 1150 से क्षेत्रफल 0.2880है0 व गाटा संख्या 1151 से क्षेत्रफल 0.0280है0 व गाटा संख्या 1151 से क्षेत्रफल 0.4090है0 व गाटा संख्या 1152 से क्षेत्रफल 0.0410है0 कुल रकबई 0.7760है0 में से 0.1025है0 स्थित भूमि स्थित मौजा भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इक्कड परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार जिस पर मौके पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागबानी, पशुपालन आदि शामिल है का कार्य नही किया जा रहा है अपने हक एवं कब्जे की भूमि को अपने निजी अद्यौगिक/व्यवसायिक प्रयोजन हेतु ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। ज0वि0एवंभू0व्य0अधि0 की धारा 143 से सम्बद्व नियम 135 के उपनियम 5 एवं 6 के क्रम में रेवन्यू कोर्ट मैनुअल के पैरा 405 के निर्धारित दरो के अनुसार हदबन्दी का खर्चा कुल 2000.00 रूपये आंगणित किया गया। उक्त के क्रम में आवेदक द्वारा राजकीय कोष के लेखा शीर्षक 0029–भूराजस्व–800 अन्य प्राप्तियां–00 के द्वारा रूपये 2000.00 धनराशि जमा करा दी गयी है। प्रश्नगत् भूमि का उपयोग अपने निजी व्यवसायिक प्रयोजन के लिये ही मान्य होगा तथा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिये मान्य नही होगा। उक्त अकृषिक भूमि का भू–राजस्व को नियमानुसार ग्राम भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इक्कड परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार की उक्त खाते से कम किया जाये। वाद मे राज्य सरकार एवं प्रभावी पक्षकार का हित सुरक्षित रहेगा। उक्तानुसार भू–अभिलेखों में अंकन हेतु परवाना अमलदरामद जारी होवें। आदेश की एक प्रति उप निबंधक को भेजकर वाद आवश्यक कार्यवाही उपरांत पत्रावली अभिलेखागार में संचित होवे।

उपरोक्त आदेश निम्न शर्तो के अधीन जारी किया जाता है:–

1. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड़ नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–119/2013 अनुज कंसल बनाम उत्तराखण्ड़ राज्य आदि में पारित आदेश दिनांक 19–06–2018 एवं आदेश के पैरा–14(5) " **The State Government Shall not be permit the use of agricultural land recorded in revenue records as agricultural land to be converted for group housing complexes taking into consideration the acute shortage of farming land in the state of Uttarakhand its is made clear that his will not apply to a farmer who wants to build a house for him self as per the UPZA & LR act Suitable legislation is made. is made in other words. there shall be ban on conversation of agricultural land orchard land for construction of group housing projects/complexes. including by the societies till the enactment of law"** का अक्षरण अनुपालन करेगा और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विपरीत भूमि का उपयोग नही करेगा।
2. यदि वादी/आवेदक अनुसूचित जाति का सदस्य है तो वादी/आवेदक यदि भविष्य में भूमि को विक्रय करता है तो उसे नियमानुसार धारा 157क/157कक के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
3. यदि वादी/आवेदक प्रश्नगत् भूमि अपने निजि प्रयोग/उपयोग मे नही लाया जाता है अथवा पत्रावली मे उल्लिखित तथ्यों के विपरीत तथ्य के प्रकाश में आने पर अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जाये।

दिनांक 28/5/2021

28/5/2021

(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिला मजिस्ट्रेट/
सहायक कलेक्ट्रर प्रथम श्रेणी,
हरिद्वार।

Scanned with CamScanner

पंत्राकः 301 /अहलमद/2021 दिनांक28/5/2021

न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहा0कले0प्रथम श्रैणी,हरिद्वार।

वाद संख्या 135 /2020–21

धारा 143 ज0वि0अधिनियम
मौजा भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इक्क्ड
परगना ज्वालापुर
तहसील व जिला हरिद्वार।

नरेश चावला आदि बनाम सरकार

परवाना अमलदरामद

बन्दोबस्त अधिकारी,
चकबंदी,स्थान रूड़की।

कृपया वाद उपरोक्त में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक28/5/2021 के अन्तर्गत भूमि गाटा संख्या 1149/2 से क्षेत्रफल 0.0100है0 व गाटा संख्या 1150 से क्षेत्रफल 0.2880है0 व गाटा संख्या 1151 से क्षेत्रफल 0.0280है0 व गाटा संख्या 1151 से क्षेत्रफल 0.4090है0 व गाटा संख्या 1152 से क्षेत्रफल 0.0410है0 कुल रकबई 0.7760है0 में से 0.1025है0 भूमि स्थित मौजा भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इक्क्ड परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार को अपने निजी अद्यौगिक/व्यवसायिक प्रयोजन हेतु ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। प्रश्नगत् भूमि का उपयोग अपने निजी व्यवसायिक उपयोग के लिए ही मान्य होगा तथा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिये मान्य नही होगा। उक्त अकृषिक भूमि का भू राजस्व का नियमानुसार ग्राम भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इक्क्ड परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार की उक्त खाते से कम किया जाये। वाद में राज्य सरकार एवं प्रभावी पक्षकार का हित सुरक्षित रहेगा।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–119/2013 अनुज कंसल बनाम उत्तराखण्ड राज्य आदि में पारित आदेश दिनांक 19.06.2018 एवं आदेश के पैरा–14(5)"**The State Government Shall not be permit the use of agricultural land recorded in revenue records as agricultural land to be converted for group housing complexes taking into consideration the acute shortage of farming land in the state of Uttarakhand its is made clear that his will not apply to a farmer who wants to build a house for him self as per the UPZA & LR act Suitable legislation is made. is made in other words. there shall be ban on conversation of agricultural land orchard land for construction of group housing projects/complexes. including by the societies till the enactment of law**" का अक्षरण अनुपालन करेगा और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विपरीत भूमि का उपयोग नही करेगा।

1. यदि वादी/आवेदक अनुसूचित जाति का सदस्य है तो वादी/आवेदक यदि भविष्य में भूमि को विक्रय करता है तो उसे नियमानुसार धारा 157क/157कक के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
2. यदि वादी/आवेदक प्रश्नगत् भूमि अपने निजि प्रयोग/उपयोग मे नही लाया जाता है अथवा पत्रावली मे उल्लिखित तथ्यों के विपरीत तथ्य के प्रकाश में आने पर अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जाये।

अतः उपरोक्तानुसार अभिलेखों में अमलदरामद के उपरांत परवाना इस न्यायालय को एक सप्ताह में लौटाना सुनिश्चित करें।

(गोपाल सिंह चौहान)
उप जिलाधिकारी/सहा0 कलै0 प्र0 श्रैणी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपि– उप निबन्धक हरिद्वार को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/सहा0 कलै0 प्र0 श्रैणी,
हरिद्वार।

Scanned with CamScanner

कोषागार प्रपत्र–209 (A) (संशोधित)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–2

प्रपत्र संख्या - 43 ए (1)

(प्रस्तर 471 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार (नॉन बैंकिंग) / बैंक का नाम व शाखा — **SBI Bank, रोशनाबाद, लक्सर, रुड़की, हरिद्वार**

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम ....
2. पता ....
3. पंजीकरण संख्या / पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) ....
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है ....
5. चालान की सकल(Gross)राशि 2000/
6. चालान की निबल(Nett)राशि 2000/
7. लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण, लेखा शीर्षक की मुहर ....
8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

भारतीय स्टेट बैंक/SBI (01198)
रोशनाबाद, हरिद्वार/Roshnabad, Haridwar
27 MAY 2021
नकद/चालान/अन्तरण
PF: 4574990 (AMIT SINGH BISHT)

मुख्य लेखा–शीर्षक	उप मुख्य–शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौरेवार शीर्षक	(धनराशि अंको में)
0 0 2 1	0 0	1 0 0	0 0		2000
		योग			2000

धनराशि (शब्दों में) ....

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

Scanned with CamScanner

₹2 UTTARAKHAND COURT FEE
₹5 UTTARAKHAND COURT FEE

निरस्त किया गया — निरस्त किया गया

जोत चकबन्दी आकारपत्र 23 भाग—1 (नि.)

नकल मा हवाये प्रीति - चक सं० 943

प्राथमिक चकबन्दी (योजना) खतौनी

गांव/थाना — चि० आ० सं० हैदरपुर — परगना — ज्वालापुर — तहसील — रुड़की — जिला — हरिद्वार

EF 2 / 707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
943	इलमसिंह ... (पुत्र) ...	...	...	...	...	...	—	...	...	...	...

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	३६४६	११२×१०	३.६२	९४.८८	...	...	११४२	...	...	९६.६८	...	...

पत्र की संख्या 1422 / 09/7/2021
प्रार्थना पत्र प्राप्ति का दिनांक 13/7/2021
नकल तैयारी का दिनांक 13/7/2021
नकल जारी करने का दिनांक 13/7/2021
कोर्ट फीस टिकट संख्या व मूल्य 2 ... 5 ...
मिलान कर्ता के हस्ताक्षर ...

सहायक चकबन्दी अधिकारी रुड़की (मोहर)

चकबन्दीकर्ता
कमल कुमार

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
13/7/2021
सहायक चकबन्दी अधिकारी
रुड़की

सहायक चकबन्दी अधिकारी मंडल (सर्किल)